256/2024

06.11.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात उभय–पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि मे खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है,जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। विवादित भूमि मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तथा उत हिस्सेनुसार ही प्रार्थीगण का वक्त सेटलमेट से आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन विप्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा होने के उपरांत भी रेकर्ड मे हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए 1/3 हिस्सा रेकर्ड मे फेरबदल करवा दिया गया,जो कि प्रार्थीगण के हितो के साथ भारी कुठराधात हुआ है तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है। प्रार्थीगण के कब्जा–शुदा भूमि मे दखलदान्जी करने की कोशिश की जा रही है। यदि इसमे सफल हो गए तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा। अतं प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे। हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय होगा कि वादीगण/प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है,क्योंकि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है। इस कारण प्रथम द्वष्यता स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	